

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Direct Taxes

NOTIFICATION

New Delhi, the ^m20 January, 2015.

S.O. _____ (E). - In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, the 'Karnataka Livestock Development Agency', a body constituted by the Government of Karnataka, in respect of the following specified income arising to the said body, as follows:-

- (a) amount received in the form of grants-in-aid from Government of India; and
- (b) income arising out or derived from interest on grants-in aid.

2. The notification shall be subject to the conditions that:-

- (a) the body does not engage in any commercial activity;
- (b) its activities and the nature of the specified income remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) it files return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) section 139 of the said Act.

3. This notification shall be applicable for financial years 2012-13 to 2016-17.

(Notification No. 7 /2015 F.No.196/16/2014-ITA.1)


(Deepshikha Sharma)

Director to the Government of India

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Press,
New Delhi.

Ms. Rekha
20/1/15

[भारत के राजपत्र के, असाधारण, भाग-, खंड 3, उप-खंड () में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 20 जनवरी, 2015

अधिसूचना

का.आ.....(अ) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, कर्नाटक पशुधन विकास अभिकरण (कर्नाटक लाइवस्टॉक डिवेलपमेंट एजेंसी), कर्नाटक सरकार द्वारा गठित एक निकाय, को उक्त निकाय को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात:-

- (क) भारत सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त राशि;
 - (ख) सहायता अनुदान पर ब्याज;
2. अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगी; नामश:-
- (क) यह कोई भी वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करती है;
 - (ख) कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरूप पूर्ण वित्तीय वर्ष (वर्षों) में अपरिवर्तनीय रहता है; और
 - (ग) अपनी आय की विवरणी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार दायर करती है।
3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना संख्या7...../2015 फा.सं. 196/16/2014-आयकर नि-1]

दीपशिखा शर्मा
(दीपशिखा शर्मा)

निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

(राजौरी गार्डन के समीप), नई दिल्ली।